प्रेस विज्ञप्ति

03.11.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय-II ने मेसर्स पैन इंडिया क्रिप्टो करेंसी (हैशपे) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 30.10.2026 को लगभग 14.16 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों/परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है तथा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पुडुचेरी के समक्ष अभियोजन शिकायत दाखिल की है। कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु, हरियाणा एवं नई दिल्ली स्थित अचल संपत्तियां, एक बीएमडब्ल्यू कार तथा बैंक खातों में जमा शेष राशि शामिल हैं।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, पुडुचेरी द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर की गई। यह मामला हैशपे के प्रवर्तकों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी आधारित निवेश योजना की आड़ में निवेशकों से धनराशि एकत्र करने से संबंधित है। इस योजना के तहत प्रतिदिन 1% प्रतिफल, निवेश की गई राशि का तीन गुना तक रिटर्न, रेफरल कमीशन तथा लग्जरी कारों एवं विदेश यात्राओं जैसे पुरस्कार देने का वादा किया गया था।

ईडी की जांच में सामने आया है कि हैशपे का संचालन वेबसाइट "hashpe.io" तथा एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से किया जाता था। इसके प्रवर्तकों इमरान बाशा, हितेश कुमार एवं सैयद उस्मान उर्फ बाबू ने धामोदरन एवं अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर आम जनता को नकद भुगतान, बैंक ट्रांसफर एवं क्रिप्टो परिसंपत्तियों के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इस प्लेटफॉर्म पर टीसीएक्स एवं हैशपे सहित काल्पनिक क्रिप्टो कॉइन उपलब्ध कराए गए थे तथा वास्तविक ट्रेडिंग गतिविधि के बिना ही मुनाफा प्रदर्शित किया जाता था।

नए निवेशकों से प्राप्त धनराशि का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने तथा "लीडर्स" के रूप में नामित एजेंटों को कमीशन देने के लिए किया जाता था। बाद में निकासी पर रोक लगा दी गई तथा प्लेटफॉर्म को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को नुकसान हुआ।

आगे की जांच में सामने आया है कि इस योजना के माध्यम से लगभग 112.91 करोड़ रुपये का निवेश एकत्र किया गया था, जिसमें से एक हिस्सा निवेशकों को वापस किया गया। निवेशकों की शेष धनराशि को मेसर्स हाईफाई सर्कल (HIFY Circle) तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के बैंक खातों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के माध्यम से अंतरित किया गया। धनराशि को व्यक्तिगत खर्चों, ऋणों के पुनर्भुगतान, भारी कमीशन, प्रचार कार्यक्रमों तथा संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अन्यत्र अंतरित किया गया। जांच के दौरान लगभग 49.54 करोड़ रुपये की अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) की पहचान की गई है।

इससे पूर्व, ईडी ने दिनांक 01.09.2026 को हैशपे, इसके प्रवर्तकों एवं सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था। इसके बाद इमरान बाशा, हितेश कुमार, सैयद उस्मान उर्फ बाबू एवं धामोदरन को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

